न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 93/2021

1 पन्नालाल आयु 60 वर्ष पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कमला देवी पत्नी नारायण लाल जाति जाट निवासी सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल जरिये शाखा प्रबंधक
3 पटवारी पटवार हल्का सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
4 उप तहसीलदार महोदय उप तहसील लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांकित 09.03.2021 अशोक कुमार आर.ए.एस. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. कमला देवी बनाम पन्नालाल आदि प्रकरण संख्या 101/2019 आवेदन 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री हरिश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः–27.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 101/2019 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के समक्ष प्रकरण संख्या 101/2019 कमला देवी बनाम पन्नालाल आदि प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना किसी नोटिस दिये व अपीलार्थी को बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये ही एकतरफा कार्यवाही करके निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने जिस तथाकथित उप तहसीलदार लोसल की रिपोर्ट को मान्य किया गया है उक्त रिपोर्ट भी उप तहसीलदार लोसल ने बिना मौके पर गये ही व बिना किसी पक्षकार व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये ही मनमाने तरीके से पेश की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर सभी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षकारान व गवाहान के हस्ताक्षर होना आवश्यक है यदि कोई पक्षकार हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उसका कारण भी अंकित किया जाना आवश्यक है परंतु विचारण न्यायालय ने उप तहसीलदार लोसल की गलत व झुठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 1.76 हैक्टेयर में से दक्षिण सीमा के सहारे सहारे 108 मीटर लंबा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता गलत रूप से निकाल दिया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष गलत व झूंठे तथ्य अंकित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 40 की भूमि के अलावा व नजदीकी अन्य रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी वास्तविक तथ्य छुपाकर बाला बाला ही फर्जी तरीके से बिना किसी अपीलार्थी को जानकारी के ही विचारण न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय पारित करवाया है व तहसीलदार से साजिश कर उप तहसील लोसल में बिना मौके पर गये ही फर्जी मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.03.2021 की जानकारी दिनांक 08.12.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर अपीलार्थी को रास्ता निकलवाने की धमकी देने पर अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में जाकर संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर संपूर्ण तथ्य की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलार्थी को इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता निकटतम माना गया है। वैकल्पिक रास्ता होने का अंकन मौका रिपोर्ट में नहीं है। अपीलांट की बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022(1) पेज 558, आरआरटी 2019 (2) पेज 1098 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 30.12.2020 तक अपीलांट की तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 09.12.2019 को दर्ज हुई है। दिनांक 09.12.2019 से 30.12.2020 तक अपीलांट के साधारण नोटिस जारी किये गये हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। दिनांक 25.11.2020 की आदेशिका में अपीलांट के रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने का भी कोई आदेश नहीं है। दिनांक 30.12.2020 को अपीलांट की तामील रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त होने का अंकन है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट की नोटिस प्राप्ती की एडी संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की तामील सम्यक नहीं मानी जा सकती है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 27.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर